

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 76/22 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2022/120

अनवान

1. श्रीमती सावित्री पत्नी महेन्द्रकुमार टाया निवासी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती साधना पत्नी अजय दक निवासी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती सरिता पत्नी विकास जैन निवासी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज.।
4. श्री विजयकुमार पिता आनन्दीलाल अग्रवाल निवासी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज.।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 26.09.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमें बताया कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर साबिक आराजी न. 318/1 रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न. 318/2 मी. रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न. 318/2 ख रकबा 32 बिघा 10 बिस्वा किता 3 रकबा 53 बिघा 10 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित थी। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि प्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य लोगों को विक्रय कर दी जो जरिये नामान्तरण उन खातेदारों के नाम अंकित थी। सेटलमेंट का कार्य पूर्ण हुआ जिससे सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा साबिक आराजी न. 318/1 रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न. 318/2 मी. रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न. 318/2 ख रकबा 32 बिघा 10 बिस्वा किता 3 रकबा 53 बिघा 10 बिस्वा के नवीन आराजी न. 709, 714, 716 किता 3 रकबा 2.1000 है, आराजी न. 715, 717 से 725, 733 से 736 किता 14 रकबा 7.1900 है., आराजी न. 731, 732 किता 2 रकबा 2.2700 है. कायम किये गये हैं।
2. यह कि साबिक आराजी न. 318/1 रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न. 318/2 मी. रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा, आराजी न. 318/2 ख रकबा 32 बिघा 10 बिस्वा किता 3 रकबा 53 बिघा 10 बिस्वा का नवीन आराजी न. 709, 714, 716 किता 3 रकबा 2.1000 है, आराजी न. 715, 717 से 725, 733 से 736 किता 14 रकबा 7.1900 है., आराजी न. 731, 732 किता 2 रकबा 2.2700 है. है. कायम करते वक्त सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में एवं राजस्व नक्शे में हेरफेर कर दिया है यानि पुर्व के रेकर्ड की स्थिति एवं राजस्व नक्शा एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे को मिलान करने पर काफी अन्तर आ रहा है। प्रार्थी पक्ष में पत्नी पूनीत टाया को 4 बिस्वा भूमि विक्रय की गई जबकि नवीन रेकर्ड में इ

- हिस्सा गलत रूप से 61.92 बिस्वा अंकित कर दिया है। साबिक आराजी न. 318/2 ख का रकबा 32 बिघा 10 बिस्वा के बजाय नवीन सेटलमेंट की जमाबंदी में रकबा 33.45 बिघा गलत अंकित कर दिया गया है साथ ही आराजी न. 318/1 में स्थित कुएँ को हटा कर आराजी न. 318/2 ख में अंकित कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा नवीन सेटलमेंट के दोहरान हुई त्रुटि को संशोधित कर साबिक रेकर्ड अनुसार किये जाने का निवेदन किया।
3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई तथा तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम बडगांव की गत जमाबंदी सम्वत् 2050-53 की खाता संख्या 44 के आराजी न. 318/1 रकबा 10.5 बिघा भूमि व आराजी न. 318/2 ख रकबा 32.5 बिघा भूमि गत जमाबंदी अनुसार दर्ज रेकर्ड हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सवत् 2078-81 के खाता सं. 354 आराजी नं. 709, 714, 716, किता 03 रकबा 2.1000 है, जो कि मिलान खसरा सं. अनुसार साबिक आराजी न. 318/1 के नवीन आराजी न. है। गत जमाबंदी के मुकाबले नवीन आराजीयात के कुल रकबे में 0.1700 है, कम होकर खातेदारान के हिस्से में गत के मुकाबले अलग पाया गया।
 4. तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि प्रार्थी खातेदारान साबिक आराजी न. 318/1 रकबा 10.5 बिघा भूमि संटलमेंट विभाग द्वारा उपलब्ध नवीन नक्शा शेट के आराजी 719 रकबा 0.6400 है., 717 रकबा 0.0400 है., 720 रकबा 0.4500 है., 721 रकबा 0.2400 है., 723 रकबा 0.2700 है., 725 रकबा 1.08 है. में से 0.2800 है. 214 रकबा 0.6500 में से 0.2000 है., 715 के 0.4300 है. में से 0.1000 है. व 716 रकबा 0.5000 है. में से 0.0500 है. कुल किता 09 कुल रकबा 2.2700 है. पर होना बताया। उसी प्रकार साबिक आराजी न. 318/2 ख रकबा 32.5 बिघा से बने नवीन आराजी खाता संख्या 150 किता 14 कुल रकबा 7.1900 हैक्टयर हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि साबिक आ.न. 318/2 ख के खातेदारान का कब्जा आ.न. 718 रकबा 0.1800 है., 722 रकबा 0.1400 है., 724 रकबा 0.2400 है. 709 रकबा 0.9500 है. 734 रकबा 0.8400 है. 735 रकबा 0.8600 है., 736 रकबा 0.8800 है., 725 रकबा 1.08 में से 0.8000 है., 714 रकबा 0.6500 है. में से 0.4500 है. 715 के 0.4300 में से 0.3300 है., 716 रकबा 0.5000 में से 0.3200 है., 733 रकबा 0.9000 है. में से 0.3800 है., 710 रकबा 0.8500 है. में से 0.6500 है. (आ.न. 710 वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार चरागाह परन्तु प्रार्थी खातेदार के कब्जे) होकर प्रार्थी खातेदारान के कब्जे में है। आराजी 716 व 733 का शेष रकबा 0.1300 है. व 0.5200 है. वर्तमान में पडत होकर चरागाह के उपयोग में आ रही हैं। उक्त साबिक आराजी 318/2 मी, 318/2 ख, 318/1 को गत लददा शीट में किसी प्रकार की तरमीम नहीं पायी गयी तथा उक्त साबिक आराजीयात 318/2 मी रकबा 10.5 बिघा, आराजी 318/2 ख 32.5 बिघा, 318/1 रकबा 10.5 बिघा कुल रकबा 53.5 बिघा के चारों ओर पुख्ता कोट पायी गयी।
 5. तहसीलदार भीण्डर द्वारा वर्तमान व गत राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी खातेदारान के हिस्से व रकबे अनुसार निम्न परिवर्तन प्रस्तावित किये कि (अ) नवीन आ.न. 719 रकबा 0.6400 है., 717 रकबा 0.0400 है., 720 रकबा 0.4500 है., 721 रकबा 0.2400 है., 723 रकबा 0.2700 है., 725 रकबा 0.2800 है., 714 रकबा 0.2000 है., 715 रकबा 0.1000 है., 716 रकबा 0.0500 है. कुल किता 09 कुल रकबा 2.2700 है खातेदारान अजय पिता सुन्दरलाल 153/1680 दक, अजित पिता भंवरलाल 4/420 जैन सा.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर प्र.स. 76/22 अनवान सावित्री बनाम तहसीलदार भीण्डर निर्णय दि. 26.09.2024
 उदयपुर, नरेन्द्र कुमार पिता दीपलाल 63/420 अग्रवाल, नेहा पत्नि पुनीत 13/420 जैन, निर्मला पत्नि नरेन्द्र कुमार 28/420 अग्रवाल, प्रेरणा पत्नि राकेश 9/420 जैन सा. राजसमन्द, प्रिति पत्नि विपुल 21/420 अजमेरा, प्रज्ञा पत्नि सुमन 20/420 मेहता, प्रिया पत्नि अजय 21/420 दौलिया, महेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल 467/1680 टाया, विजय कुमार पिता आन्नदीलाल 86/420 अग्रवाल का कब्जा होना बताया।

6. तहसीलदार भीण्डर द्वारा उसी प्रकार (ब) नवीन आराजीयात 718 रकबा 0.1800 है., 722 रकबा 0.1400 है., 724 रकबा 0.2400 है. 709 रकबा 0.9500 है. 734 रकबा 0.8400 है. 735 रकबा 0.8600 है, 736 रकबा 0.8800 है., 725 रकबा 0.8000 है., 714 रकबा 0.4500 है., 715 रकबा 0.3300 है., 716 रकबा 0.3200 है., 73 रकबा 0.3800 है., 710 रकबा 0.6500 है. कुल किता 13 कुल रकबा 7.0200 है. भूमि खातेदारान अजय पिता शांतिलाल 12/650, अमित पिता भंवरलाल 80/6500 जैन सा. उदयपुर, अर्चना पत्नि केशवदेव 12/650 शर्मा सा. हरियाणा, अशीष सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह 12/650 छवडा, सरिका पत्नि मनीष 19/1300 वर्मा सा. हरियाणा, तेजीन्दर कोर पत्नि हरदिपसिंह 21/1300 कौर, नेहा पत्नि पुनीत टाया 40/6500 जैन सा. उदयपुर, निरजंन नारायणसिंह पिता अर्जुनसिंह 21/1300 राठौड सा. उदयपुर निर्मला पत्नि नरेन्द्र कुमार 175/6500 अग्रवाल सा. गुजरात, प्रज्ञा पत्नि सुमन 120/6500 मेहता सा. उदयपुर, प्रेरणा पत्नि राकेश 60/6500 जैन सा. राजसमन्द, मैना पत्नि प्रदीप कुमार 21/1300 जैन सा. उदयपुर, सौम्या पिता राजीव 21/650 मिश्रा, राजरूषि पिता श्यामलाल 21/1300 शर्मा सा. उदयपुर, राजिन्दर कौर पत्नि त्रिलोचन 104/6500 कोर सा. जयपुर, लता पत्नि महेन्द्र 21/1300 दलाल, श्वेता पत्नि तोमेश 21/1300 डोटिया, सत्यनारायण पिता देवकिशन 21/1300 सुथार, सुरेन्द्र पिता गोवर्धनसिंह 21/1300 कोठारी सा. उदयपुर, सरिता पत्नि विकास जैन, सावित्री पत्नि महेन्द्र कुमार टाया, साधना पत्नि अजयदक 3678/6500 दक सा. उदयपुर, सरोज अशोक पत्नि अशोक 120/6500 जैन सा. महाराष्ट्र, सोनिका पत्नि गौतम 25/650 चौपडा सा. मुम्बई, महेन्द्र कुमार टया पिता कन्हैयालाल टाया 92/1625 टाया सा. उदयपुर होकर कब्जाशुदा है तथा नवीन आराजी सं. 732 कुल रकबा 1.3200 है. के 1.1200 है. भूमि व आराजी 731 के 0.9500(सम्पूर्ण) खाता सं. 447 में दर्ज खातेदारान के कब्जाशुदा होना बताया तथा शेष भूमि 0.2000 है. मौके पर पडतं होकर खाली पडी है व आराजी स. 730 के 0.2000 है. भूमि पर संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार कब्जा हैं।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार साबिक आराजी न. 318/1, 318/2 मी., 318/2 ख कुल किता 3 रकबा 53 बिघा 10 बिस्वा की तरमीम नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक रेकर्ड व मौके अनुसार नहीं कर गलत रूप से अंकित कर दी साथ ही रकबे में भी परिवर्तन कर दिया गया जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी खातेदारान साबिक आराजी न. 318/1 रकबा 10.5 बिघा भूमि संटलमेंट विभाग द्वारा उपलब्ध नवीन नक्शा ट्रेस के आराजी 719 रकबा 0.6400 है., 717 रकबा 0.0400 है., 720 रकबा 0.4500 है., 721 रकबा 0.2400 है., 723 रकबा 0.2700 है., 725 रकबा 1.08 है. में से 0.2800 है. 214 रकबा 0.6500 में से 0.2000 है., 715 के 0.4300 है. में से 0.1000 है. व 716 रकबा 0.5000 है. में से 0.0500 है. कुल किता 09 कुल रकबा 2.2700 है. पर होना बताया। उसी प्रकार साबिक आराजी न. 318/2 ख रकबा 32.5 बिघा से बने नवीन

- आराजी खाता संख्या 150 किता 14 कुल रकबा 7.1900 हैक्टयर हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि साबिक आ.न. 318/2 ख के खातेदारान का कब्जा आ.न. 718 रकबा 0.1800 है., 722 रकबा 0.1400 है., 724 रकबा 0.2400 है. 709 रकबा 0.9500 है. 734 रकबा 0.8400 है. 735 रकबा 0.8600 है., 736 रकबा 0.8800 है., 725 रकबा 1.08 में से 0.8000 है., 714 रकबा 0.6500 है. में से 0.4500 है. 715 के 0.4300 में से 0.3300 है., 716 रकबा 0.5000 में से 0.3200 है., 733 रकबा 0.9000 है. में से 0.3800 है., 710 रकबा 0.8500 है. में से 0.6500 है. (आ.न. 710 वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार चरागाह परन्तु प्रार्थी खातेदार के कब्जे) होकर प्रार्थी खातेदारान के कब्जे में है। आराजी 716 व 733 का शेष रकबा 0.1300 है. व 0.5200 है. वर्तमान में पडत होकर चरागाह के उपयोग में आ रही हैं। उक्त साबिक आराजी 318/2 मी, 318/2 ख, 318/1 को गत लदडा शीट में किसी प्रकार की तरमीम नहीं पायी गयी तथा उक्त साबिक आराजीयात 318/2 मी रकबा 10.5 बिघा, आराजी 318/2 ख 32.5 बिघा, 318/1 रकबा 10.5 बिघा कुल रकबा 53.5 बिघा के चारों ओर पुख्ता कोट पायी गयी।
8. तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर वर्तमान व गत राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी खातेदारान के हिस्से व रकबे अनुसार निम्न परिवर्तन प्रस्तावित किये कि (अ) नवीन आ.न. 719 रकबा 0.6400 है., 717 रकबा 0.0400 है., 720 रकबा 0.4500 है., 721 रकबा 0.2400 है., 723 रकबा 0.2700 है., 725 रकबा 0.2800 है., 714 रकबा 0.2000 है., 715 रकबा 0.1000 है., 716 रकबा 0.0500 है. कुल किता 09 कुल रकबा 2.2700 है खातेदारान अजय पिता सुन्दरलाल 153/1680 दक, अजित पिता भंवरलाल 4/420 जैन सा. उदयपुर, नरेन्द्र कुमार पिता दीपलाल 63/420 अग्रवाल, नेहा पत्नि पुनीत 13/420 जैन, निर्मला पत्नि नरेन्द्र कुमार 28/420 अग्रवाल, प्रेरणा पत्नि राकेश 9/420 जैन सा. राजसमन्द, प्रिति पत्नि विपुल 21/420 अजमेरा, प्रज्ञा पत्नि सुमन 20/420 मेहता, प्रिया पत्नि अजय 21/420 दौलिया, महेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल 467/1680 टाया, विजय कुमार पिता आन्नदीलाल 86/420 अग्रवाल का कब्जा होना बताया।
9. तहसीलदार भीण्डर द्वारा उसी प्रकार (ब) नवीन आराजीयात 718 रकबा 0.1800 है., 722 रकबा 0.1400 है., 724 रकबा 0.2400 है. 709 रकबा 0.9500 है. 734 रकबा 0.8400 है. 735 रकबा 0.8600 है, 736 रकबा 0.8800 है., 725 रकबा 0.8000 है., 714 रकबा 0.4500 है., 715 रकबा 0.3300 है., 716 रकबा 0.3200 है., 73 रकबा 0.3800 है., 710 रकबा 0.6500 है. कुल किता 13 कुल रकबा 7.0200 है. भूमि खातेदारान अजय पिता शांतिलाल 12/650, अमित पिता भंवरलाल 80/6500 जैन सा. उदयपुर, अर्चना पत्नि केशवदेव 12/650 शर्मा सा. हरियाणा, अशीष सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह 12/650 छवडा, सरिका पत्नि मनीष 19/1300 वर्मा सा. हरियाणा, तेजीन्दर कोर पत्नि हरदिपसिंह 21/1300 कौर, नेहा पत्नि पुनीत टाया 40/6500 जैन सा. उदयपुर, निरजंन नारायणसिंह पिता अर्जुनसिंह 21/1300 राठौड सा. उदयपुर निर्मला पत्नि नरेन्द्र कुमार 175/6500 अग्रवाल सा. गुजरात, प्रज्ञा पत्नि सुमन 120/6500 मेहता सा. उदयपुर, प्रेरणा पत्नि राकेश 60/6500 जैन सा. राजसमन्द, मैना पत्नि प्रदीप कुमार 21/1300 जैन सा. उदयपुर, सौम्या पिता राजीव 21/650 मिश्रा, राजश्री पिता श्यामलाल 21/1300 शर्मा सा. उदयपुर, राजिन्दर कौर पत्नि त्रिलोचन 104/6500 कोर सा. जयपुर, लता पत्नि महेन्द्र 21/1300 दलाल, श्वेता पत्नि तोमेश 21/1300 डोटिया, सत्यनारायण पिता देवकिशन 21/1300 सुथार, सुरेन्द्र पिता गोवर्धनसिंह 21/1300 कोठारी सा. उदयपुर, सरिता पत्नि विकास जैन,

सावित्री पत्नि महेन्द्र कुमार टाया, साधना पत्नि अजयदक 3678/6500 दक सा. उदयपुर, सरोज अशोक पत्नि अशोक 120/6500 जैन सा. महाराष्ट्र. सोनिका पत्नि गौतम 25/650 चौपडा सा. मुम्बई, महेन्द्र कुमार टया पिता कन्हैयालाल टाया 92/1625 टाया सा. उदयपुर होकर कब्जाशुदा है तथा नवीन आराजी सं. 732 कुल रकबा 1.3200 है. के 1.1200 है. भूमि व आराजी 731 के 0.9500(सम्पूर्ण) खाता सं. 447 में दर्ज खातेदारान के कब्जाशुदा होना बताया तथा शेष भूमि 0.2000 है. मौके पर पडत होकर खाली पडी है व आराजी स. 730 के 0.2000 है. भूमि पर संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार कब्जा हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेशः—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मोजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू अभिलेख निरीक्षक बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सम्वत् 2078-81 की खाता संख्या नया 150, 357, 447 में तहसीलदार भीण्डर की मौके की रिपोर्ट अनुसार संशोधन करते हुये आराजी न. 719 रकबा 0.6400 है. (सम्पूर्ण), आ.न. 717 रकबा 0.0400 है. (सम्पूर्ण), आ.न. 720 रकबा 0.4500 है. (सम्पूर्ण), आ.न. 721 रकबा 0.2400 है. (सम्पूर्ण), आ.न. 723 रकबा 0.2700 है. (सम्पूर्ण), आ.न. 725 रकबा 1.0800 है. में से 0.2800 है., आ.न. 714 रकबा 0.6500 है. में से 0.2000 है., आ.न. 715 रकबा 0.4900 है. में से 0.1000 है., आराजी न. 716 रकबा 0.5000 है. में से 0.0500 है. किता 9 रकबा 2.2700 है. भूमि खाता संख्या नया 357 में अंकित खातेदार अजय पिता सुन्दरलाल 153/1680 दक, अमित पिता भंवरलाल 4/420 जैन सा. उदयपुर, नरेन्द्र कुमार पिता दीपलाल 63/420 अग्रवाल, नेहा पत्नि पुनीत 13/420 जैन, निर्मला पत्नि नरेन्द्र कुमार 28/420 अग्रवाल, प्रेरणा पत्नि राकेश 9/420 जैन सा. राजसमन्द, प्रिति पत्नि वितुल 21/420 अजमेरा, प्रज्ञा पत्नि सुमन 20/420 मेहता, प्रिया पत्नि अजय 21/420 दौलिया, महेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल 467/1680 टाया, विजय कुमार पिता आन्नदीलाल 86/420 अग्रवाल के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी प्रकार खाता संख्या नया 150 में आराजी व खातेदारों के हिस्से को संशोधित करते हुये आ. न. 718 रकबा 0.1800 है., आ.न. 722 रकबा 0.1400 है., आ.न. 724 रकबा 0.2400 है. आ.न. 709 रकबा 0.9500 है., आ.न. 734 रकबा 0.8400 है., आ.न. 735 रकबा 0.8600 है. आ.न. 736 रकबा 0.8800 है., आ.न. 725 रकबा 1.0800 है. में से 0.8000 है., आ. न. 714 रकबा 0.6500 है. में से 0.4500 है., आ.न. 715 रकबा 0.4300 है. में से 0.3300 है., आ.न. 716 रकबा 0.5000 है. में से 0.3200 है., आ.न. 733 रकबा 0.9000 है. में से 0.3800 है., आ.न. 710 रकबा 0.8600 है. में से 0.6500 है. कुल किता 13 कुल रकबा 7.0200 है. भूमि खाता संख्या नया 150 में अंकित खातेदारान अजय पिता शांतिलाल 12/650 जैन सा. उदयपुर, अमित पिता भंवरलाल 80/6500 जैन सा. उदयपुर, अर्चना पत्नि केशवदेव 12/650 शर्मा सा. हरियाणा, अशीष सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह 12/650 छाबडा, डॉ. सरिका पत्नि मनीष 19/1300 वर्मा सा. हरियाणा, तेजीन्दर कौर पत्नि हरदीपसिंह 21/1300 कौर, नेहा पत्नि पुनीत टाया 40/6500 जैन सा. उदयपुर, निरजंन नारायणसिंह पिता अर्जुनसिंह 21/1300 राठौड सा. उदयपुर, निर्मला पत्नि नरेन्द्र कुमार 175/6500 अग्रवाल सा. गुजरात, प्रज्ञा पत्नि

सुमन 120/6500 मेहता सा. उदयपुर, प्रेरणा पत्नि राकेश 60/6500 जैन सा. राजसमन्द, मैना पत्नि प्रदीप कुमार 21/1300 जैन सा. उदयपुर, सौम्या पिता राजीव 21/650 मिश्रा, राजऋषि पिता श्यामलाल 21/1300 शर्मा सा. उदयपुर, राजिन्दर कौर पत्नि त्रिलोचन 104/6500 कोर सा. जयपुर, लता पत्नि महेन्द्र 21/1300 दलाल, श्वेता पत्नि तोमेश 21/1300 डोटिया, सत्यनारायण पिता देवकिशन 21/1300 सुथार, सुरेन्द्र पिता गोवर्धनसिंह 21/1300 कोठारी सा. उदयपुर, सरिता पत्नि विकास जैन, सावित्री पत्नि महेन्द्र कुमार टाया, साधना पत्नि अजमदक 3678/6500 दक सा. उदयपुर, सरोज अशोक पत्नि अशोक 120/6500 जैन सा. महाराष्ट्र, सोनिका पत्नि गौतम 25/650 चौपडा सा. मुम्बई, महेन्द्र कुमार टाया पिता कन्हैयालाल टाया 92/1625 टाया सा. उदयपुर के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी प्रकार खाता संख्या नया 447 को संशोधित करते हुये आ. न. 731 रकबा 0.9500 है. (सम्पूर्ण), आ. न. 732 रकबा 1.3200 है. में से 1.1200 है., आ.न. 730 रकबा 8.0500 है. में से 0. 2000 है. भूमि कुल किता 3 रकबा 2.2700 है. भूमि खाता संख्या नया 447 में अंकित खातेदारों के नाम दर्ज किये व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आ.न. 710, 730 राजस्व रेकॉर्ड में चरागाह दर्ज हैं। उक्त चरागाह भूमि की क्षति पुर्ति के लिये आ.न. 732 का शेष रकबा 0.2000 है. व आ.न. 733 का शेष रकबा 0.5200 है., आ.न. 716 का शेष रकबा 0.1300 है. भूमि वर्तमान खातेदार के बजाय महफुज चरनोट ग्राम पंचायत बडगांव के नाम दर्ज किये व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।